13.00 brs.

श्री शिंकरे (पंजिम): ग्रन्यक्ष महोदय, वतंमान काल में राजनीतिक क्षेत्र में प्रभावी संयम स्रोट कर्मठ निष्ठा दुर्लभ चीजें बन गई हैं। ऐसी भावना जनता में फैल रही है कि आया के द्यायाराम और गयाराम के जमाने में जो ध्रपनी निष्टायें वेच नहीं सकता या लम्बी चौडी घोष-ए। यें नहीं कर सकता वह राजनीतिक क्षेत्र के नाम के लायक भी नहीं होता है।

ऐसी परिस्थिति में जब इस सदन में स्वर्गीय श्री काकासाहेब रागो की मूर्ति ग्रीर उनके भाचार-विचार मैं देखता था तो मुक्ते मृतिमन्त संयम और निष्ठवतता का साक्षातकार मिलताथा। रिक्त घट की ग्रावाज ज्यादा होती है लेकिन भरे घट की ग्रावाज सुनाई ही नहीं देती। श्री रासी एक श्रोड्ट वर्गके संयमी पालियामेंटेरियन थे। 1946 से वे संसदीय क्षेत्र में बहमूल्य कार्यकर रहे थे। पहले महाराष्ट्र विधान सभामें ग्रीर बाद में लोक सभा में उन्होंने डिप्टी चीफ ह्रिय का काम किया ग्रीर मुफे विश्वास है कि जनका योगदान बहुनुस्य था ।

किसान के कूट्रम्ब में उनका जन्म हुआ। था। वह समाज की समस्याओं को भ्रपने अन-भव से जानते थे इसलिए उन्होंने किसानों के लिये ग्रास्था से काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका कार्यबहुमूल्य था। ग्रपनी जलगांव कांस्टिट्रएन्सी में वे बहुत सी शिक्षा संस्थाओं में कार्यकरते थे।

में यहां एक मृद्ध की बात कहना चाहूँगा, ग्रीर वह यह जैसा मैंने उल्लेख किया, कि वह बहुत संयमी नेता थे, संयमी पालियामेटेरिन थे तथा निष्ठावान भी ये। जब विभाषिक बम्बई राज्य के विभाजन का प्रक्त भ्राया श्रीर महा-राष्ट्र तथा गुजरात दो र ज्यों के बनाने की योजना थी, तब वे महाराष्ट्र के ऐसे एक कांग्रेस नेता वे जिन्होने द्विभाषिक बम्बई राज्य को तोडने या विरोध किया था।

श्राज भी मैं देखता हं कि जब महाराष्ट्र के **बहसंस्**यक कांग्रेस संसद **सदस्य** कांग्रेस में बैठे हए हैं तब वह जीशन कांग्रेस में बैठते थे : उनके विचारों का मुल्यांकन में नहीं करता है, मगर निष्ठा भीर संयम के नाते जो उनके गूरा है उनका धादर करते हुए में उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि धपित करता है और उनकी ग्रात्मा की शांति के लिए प्रार्थनः करता है।

MR. SPEAKER: Now, we shall stand for a short while in memory of the departed Members.

The Members then stood in silence for a short while.

13.03 hrs.

POINTS OF ORDER

श्री अटल बिहारी बाजपेबी (बलरामपुर): ग्रब्यक्ष महोदय, सामान्यतया ग्राज की **बैठक** में हम राष्ट्रपति जीका ग्रभिभाषण सभा-पटल पर रखते हैं और अपनी कार्रवाई समाप्त कर देते हैं। लेकिन मेरानिवेवन है कि आरज हम सामान्यकाल में नहीं रह रहे हैं। देश में एक ग्रसामान्य स्थिति पैदा हो गई है, ग्रीर उस असामान्य स्थिति का परिचय हमें मिलता है उत्तर प्रदेश और बिहार में। वहां के राज्यपाली ने जिस तरह अपने पदों का दरुपयोग किया है. संविधान की धवहेलना की है भीर संसदीय लोकतन्त्र को चोट पहंचाई है हम उस पर चर्चा करेंगे। यह चर्चादों रूपों में हो सकती है। हमने काम-रोको प्रस्ताव दिये हैं। श्राप उन्हें स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन यह तर्कनहीं दिया जाना चाहिए कि क्योंकि सदन में राष्ट्रपति के भ्रभिभाषण पर चर्चा होगी इसलिए इस मामले को भ्रालग से उठाने की भावदयकता नहीं है। सभी दो दिन तक सदन में राष्ट्रपति के श्रभिभाषसापर चर्चानहीं हो रही है। यह मामला गम्भीर है भ्रीर सार्वजनिक महत्व का है । इसलिए श्राप इस पर काम-रोको प्रस्ताव स्याकार करते हैं ।

दूसरा तरीका यह है कि भ्राप विजिनेस ऐडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलायें भ्रीर उसमें इसके लिए समय तय करें। यह समय सोमवार या मंगलवार को होना चाहिए वयोंकि इस मामले पर भ्रविलम्ब चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: ग्राज के दिन कोई काम नहीं होता। जो भी काम चलेगावह सोमवार से चलेगा। माननीय सदस्य जो भी तरीका बतलारहे हैं उस दिन उस पर गौर कर लेंगे।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रसल में मैं तीन मूहें उठाना चाहता है। तीनों को एक साथ कह देने से समय बचेगा: मेरा सबसे पहला मुद्दा यह है कि सभी-सभी सैंट्रल हाल में राष्ट्रपति जी ने दोनों **सदनों की संयुक्त** वैठक को सम्बोधित किया। उसमें ऐसा हुआ। कि राष्ट्रपति जी एक हिस्सा आयंग्रेजी में पढ़ते थे और सचिव साहब हिन्दी में उसका प्रनुवाद पढते थे । मेरी समभः में यह प्रक्रिया नहीं श्रा रहीं है। श्रापके संविधान में लिखां हुआ। है भीर नियम में लिखा हुन्ना है कि राष्ट्रपति सम्बोधित करेंगे। भ्रागर राष्ट्रपति नहीं होंगे या राष्ट्रपति कोई काम नहीं कर पायेंगे तो उपराष्ट्राति करेंगे यह सचिव बीच में कहां से धागया, यह मेरी समक्त में नहीं ब्रा रहा है। यह काम बिल्कुल संविधान के विकरीत हुआ। है। ग्रंगर वह हिन्दी में नहीं पढ़ना चाहते थे तो श्री गोपाल स्वरूप पाठक उप-राष्ट्रपति के नाते यह काम करसकतेथे। इसलिएयह बहुत गैर-मून।सिंब बात हुई है।

मैं इसके साथ स्थापनी भावना व्यक्त करना चाहता हूँ कि मुक्ते ज्यादा खुशी होती भगर श्री गिरि भागनी मानु-भाषा तेलगू में भाषणा करते : मैं हिन्दी की बिल्कुल चर्चा नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा पहला मुद्दा यह है कि क्या यह संविधान के विपरीत नहीं हुआ। है ? ब्राप भी उस समय मौजूद थे, इसलिए मैं यह सवाल उठा रहा हैं।

मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि ब्राज शुक्रवार है। जबसे मैं यहां प्राया हूँ. मैंन देखा है कि हमेशा पानियामेंट का सब सोमवार से शुरू होता था। पाँच दिन हम काम करते थे और दो दिन खुट्टी मनाते थे। मेरी समफ में नहीं ब्राया कि इस ब'र शुक्रवार को क्यों राष्ट्रपति का अभिभाषणा रथा। या। और मैंने जो अबंडा देखा है उससे ऐसा मालूम होता है...

श्री राश्सेवक यादव (बाराबंकी) : ज्योतिषी की सलाह से ऐसा हुआ है।

श्रो संखु लिसये: ग्राज जो ग्रजेंडा है उससे ऐसा लगता है कि माज कोई ज्यादा काम होने वाला नहीं है। मेरा खयाल है कि श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी ने इस सवाल को चार साल पहले उठाया था। यह बात सही है कि राष्ट्रपति पालियामेंट को प्रधान मन्त्री की सलाह पर बुलाते हैं, लेकिन इस मामले में यह तयं हुआं है कि श्रष्ट्यक्ष महोदय से भी प्रनोपचारिक रूप से सलाह महवरा किया जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या गुक्रवार का दिन तय करतें समय श्राप्त पूछा गया था? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि तीन दिनों तक जो 51 रु रोज सदस्य बिना काम किये हुए लेंगे क्या उसका कोई स्पष्टीकराग हम हिन्दुस्तान के लोगों को दे सकते हैं?

तीसरी बात वह जो भ्राभी श्री भटल बिहारी बाजपेयी ने कही।

श्री अटल बिहारी बाजपेंगी: वह प्रसंती बात है।

भी मधु लिमये: वह भी ससली है धोर यह दोनों भी ससली हैं। मैं उसके साथ अपनी भावना मिला देना चाहता हूँ घौर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो स्वर्गन प्रस्ताव दिये गये हैं उनके ऊपर आज ही तत्काल बहुप शुरू हो जाये। कैरल में, मिरापुर में, उत्तर [श्रीमधुलिमये]

प्रदेश में ब्रोर बिहार में जिस तरह से चीक किम इनर ब्रौर राज्यपालों के उत्पर दबाव डाला गया ब्रौर उतसे जो गैर-मुनासिव ब्रौर संवि-धान के लिलाफ काम करवाया गया उसके उत्पर बहुग करने का मौका हमें ब्राज ही मिलना चाहिए।

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): I have a small submission to make. Some points have been raised by my hon, friend.

MR. SPEAKER: They are points of orders.

SHRI S. M. BANERJEE: I have a submission to make.

MR. SPEAKER: On what?

SHRI S. M. BANERJEE: Kindly hear me for a minute.

MR. SPEAKER: No, I am not going to allow any discussion.

राष्ट्रपति जी के भाषण् के बारे में आपने को कहा है, मुभे उसकी कांस्टी-ट्यूशनल या प्रोसीजरल पोजिशन के बारे में पता भही है। लेकिन में इसको देख कर बयाऊंगा। आपने कहा है कि मैं डारेनशन दे सकता हूँ। मेरा नहीं खयाल कि स्पीकर डारेनशन दे सकता है राष्ट्रपति जी को कि ऐसे होना चाहिये, ऐसं नहीं होना चाहिये। फिर भी अगर कहीं कोई डारेनशन है तो मेरे नोटिस में ला देना, पूछ लेंगे। उन सं मेरी तो हिम्मत नहीं है पूछने की।

जहांतक डेट आरफ सैशन का सम्बन्ध हे मेरा ग्रपना खयाल है कि भ्रापक। क्या हर्ज है....

SHRI NATH PAI (Rajapur): There is a difference between delivering an address and reading an address. Shri Limaye was referring to the specific duty enjoined on the President and the Vice-President. MR. SPEAKER: The hon. Member is presuming that I was acting as the Speaker in the Central Hall and that I did not perform my duty with respect to the Rashtrapati. I fail to understand that argument.

As for the date of the session, it is fixed by the Government and the summons is issued through the President. I do not think the Speaker should have any objection to calling the session on any day or at any time.

एक माननीय सदस्य : एस्ट्रोलोजर से पूछ कर किया गया है।

श्रीमधुलिमये: यह ठीक कह रहे हैं कि किसी एस्ट्रोजोजर से. ज्योतियों से, पूछ कर तय किया था?

MR. SPEAKER: I was told that actually some members want two or three clear days to study the address and then have some discussion about it. I do not think there is anything wrong in it.

SHRI NATH PAI: Were you consulted? That is the point.

MR. SPEAKER: I was duly informed.

SHRI NATH PAI: Informing is totally different from consultation. Was your consent obtained?

MR. SPEAKER: I was informed before the session was called.

SHRI NATH PAI: By implication you are suggesting that you were not consulted.

MR. SPEAKER: When they inform me, it means that they want to know my views. I had no views in this case. So, they said "all right". The question of the adjournment motion we will consider on Monday.

SHRI BAL RAJ MADHOK (South Delhi): You have just now stated that some members approached the Government with the request that they want two clear days to study the President's Address. In that case, the discussion on the President's

Extension of time of 4 S. C. Report

Address should start on Monday. Now it is starting on Wednesday.

MR. SPEAKER: Perhaps, they now want more time for that.

13.14 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Proclamation re : Bihar

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B CHAVAN): I beg to lay on the Table a copy of the Proclamation (Hindi and English versions) issued by the President on the 16th February, 1970 revoking the Proclamation issued by the Vice-President acting as President on the 4th July, 1969 in relation to the State of Bihar, published in Notification No. G.S R. 236 in Gazette of India dated the 16th February, 1970 under clause (3) of article 356 of the Constitution. [Placed in Library, See No. LT—2516/70]

श्री मधु लिमये (मुगेर) : गृह मंत्री जी यह बया कर रहे हैं ? चौबीस घंटे में गवनंर की रिपोर्ट बदलती है : चौबीस घंटे पहले गवनंर साहब कहते हैं कि कोई सरकार सम्भव नहीं है । यह बया तमाशा हो रहा है ? अजीब बातें चल रही हैं ।

Notification under Essential Services Maintenance Act

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING; AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY): On behalf of Shri K. K. Shah, I beg to lay on the Table a copy each of the following Notification under subsection (2) of section 2 of the Essential Services Maintenance Act, 1968:—

 S.O 320 published in Gazette of India dated the 21st January, 1970 declaring the service connected with conservency and sewage disposal in the Union territory of Delhi to be an essential service for the purposes of Essential Service Maintenance Act, 1968. (2) S.O. 321 published in Gazette of India dated the 21st January, 1970 containing order prohibiting strikes in any service in the Union territory of Delhi connected with conservancy and sewage disposal. [Placed in Library. See No. LT-2517/70]

Ordinances Promulgated during the period from 30th December, 1969 to 14th February, 1970

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING
AND TRANSPORT (SHRI RAGHU
RAMAIAH): I beg to lay on the
copy each of the following Ordinances, under
provisions of article 123 (2) (a) of the
Constitution:—

- (1) The Essential Commodities (Amendment) Continuance Ordinance, 1969 (No. 10 of 1969) (Hindi and English versions) promulgated by the President on the 30th December, 1969.
- (2) The Haryana and Punjab Agricultural Universities Ordinance, 1970 (No. 1 of 1970) promulgated by the President on the 2nd February, 1970.
- (3) The Calcutta Port (Amendment)
 Ordinance, 1970 (No. 2 of 1970)
 (Hindi and English versions)
 promulgated by the President on
 the 2nd February, 1970. [Placed in
 Library. See No. LT—2518/70]
- (4) The Banking Companies (Acquistion and Transfer of Undertakings) Ordinance, 1970 (No. 3 of 1970) (Hindi and English versions) promulgated by the President on the 14th February, 1970. [Placed in Library. See No. LT—2519/70]

ADVOCATES (SECOND AMENDMENT) BILL

Extension of time for presentation of Select Committee Report.

SHRI R. D. BHANDARE (Bombay Central): I beg to move:

"That this House do extend the time appointed for the presentation of the